विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
3. (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 11 मार्च 2024 तक प्रदेश के शिक्षामित्रों का मानदेय बढायें जाने की सरकार के पास कोई कार्य योजना है?	सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा रूपये 1450/- प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2001 द्वारा रूपये 2250/- प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा रूपये 2400/- प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 15 जून, 2007 द्वारा रूपये 3000/- प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2009 द्वारा रूपये 3500/- प्रतिमाह, एवं शासनादेश संख्या: 1928/79-5-2017-282/98, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय रू0 3500/- प्रतिमाह से बढा कर रू0 10,000/- प्रतिमाह किया गया है।
(ख) क्या प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को मिलने वाले अल्प वेतन से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?	शिक्षामित्रों के मानदेय में समय-समय पर बढोत्तरी करते हुए सम्प्रति रूपये 1450/- प्रतिमाह से बढा कर वर्तमान में रू0 10,000/- प्रतिमाह किया गया है।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक शिक्षामित्रों का मानदेय बढा दिया जायेगा?	उक्तवत।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार)।